भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2857

बुधवार, दिनांक 06 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना के उद्देश्य

2857. डॉ. मल्लू रवि:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (जीएचसीएस) की रूपरेखा क्या है और इसके उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कांडला और पारादीप जैसे निर्यात केंद्रों पर जीएचसीएस की प्रयोज्यता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जीएचसीएस से किस प्रकार ग्रीनवाशिंग पर अंकुश लगाने की अपेक्षा की जाती है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग) देश में उत्पादित हरित हाइड्रोजन के प्रमाणीकरण के लिए पारदर्शी और विश्वसनीय रूपरेखा स्थापित करने हेतु नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2025 में भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (जीएचसीआई) प्रकाशित की गई है।

योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

i. प्रमाणन तंत्र की प्रशासनिक संरचना को रूपरेखा देना;

ii. ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन प्रक्रिया के दायरे और प्रणाली की सीमाओं का विवरण प्रदान करना;

iii. ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और इसके उत्सर्जन के लिए निगरानी आवश्यकताओं को परिभाषित करना;

iv. ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की रिपोर्टिंग के लिए एक तंत्र विकसित करना और डेटा (कस्टडी की श्रृंखला) की निरंतर ट्रैकिंग के लिए एक प्रणाली क्रियान्वित करना ताकि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और अंतिम उपयोग में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जा सके।

v. उत्पत्ति की गारंटी (जीओ) के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन प्रक्रिया स्थापित करना.

पूरे भारत में ग्रीन हाइड्रोजन सुविधा/उत्पादकों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसमें कांडला और पारादीप जैसे निर्यात केंद्र (हब) शामिल हैं।

जीएचसीआई का उद्देश्य भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के मापन, निगरानी और प्रमाणन के लिए एक समग्र रूपरेखा प्रदान करना है। यह पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखण पर जोर देता है, जिससे ग्रीनवॉशिंग क्रियाकलापों को कम करने में योगदान मिलता है।

*****